

प्रेषक,

मोहन कुमार,  
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
मोहम्मदी, बाह्य स्थित न्यायालय,  
जिला-लखीमपुर खीरी।

सेवा में,

श्रीमान महानिबन्धक महोदय,  
माननीय उच्च न्यायालय,  
इलाहाबाद।

द्वारा,

श्रीमान् जनपद न्यायाधीश,  
लखीमपुर-खीरी।

विषय:

वर्ष 2022-2023 में श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा दिये गये  
वार्षिक गोपनीय प्रवृष्टि प्राचीनतम वाद एवं रिमार्क कॉलम 01(e)(iii)  
एक्शन प्लान से सम्बंधित वादों के निस्तारण के सम्बन्ध में  
प्रत्यावेदन।

महोदय,

ससम्मान निवेदन है कि श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदय  
लखीमपुर-खीरी द्वारा प्रविष्टि कॉलम 01(e)(iii) एक्शन प्लान के प्राचीनतम पत्रावली  
के निस्तारण के सम्बन्ध में यह मत प्रकट किया गया है कि प्रार्थी द्वारा 52  
फौजदारी तथा दीवानी केस निस्तारित किया गया है, जिनमें 10 वर्ष व 5 वर्ष  
सम्मिलित हैं। श्रीमान जनपद न्यायाधीश द्वारा एक्शन प्लान से सम्बंधित निस्तारित  
वादों के सम्बन्ध में यह अभिमत प्रकट किया गया है कि "which is much  
insuffcient against requisit disposal" उपयुक्त अभिमत के सम्बन्ध में प्रार्थी का  
निम्न निवेदन है:-

1- वित्तीय वर्ष 2022-2023 की अवधि में प्रार्थी अपर जिला एवं सत्र  
न्यायालय, कक्ष सं0-2 में दि0 01.04.2022 से 04.07.2022, अपर एवं सत्र न्यायाधीश  
पास्को, कोर्ट नं0-11, लखीमपुर-खीरी दिनांक 05.07.2022 से 14.10.2022 तक एवं  
अपर जिला एवं सत्र न्यायालय, बाह्य न्यायालय मोहम्मदी, लखीमपुर-खीरी में दिनांक  
15.10.2022 से 31.03.2023 तक कार्यरत रहा। प्रार्थी को पूरे वित्तीय वर्ष में एक ही  
न्यायालय में कार्य करने का अवसर प्राप्त नहीं हो सका।

2- प्रार्थी द्वारा तीनों न्यायालय में कार्य करते हुए विभिन्न न्यायालयों के  
एक्शन प्लान के अन्तर्गत निस्तारित किये जाने वाले वादों की सूची के अन्तर्गत मेरे  
द्वारा एक्शन प्लान में चिन्हित पत्रावलियों में से कुल 18 वाद निस्तारित किये गये  
हैं। एक्शन प्लान की कुछ पत्रावलिया हाजिरी में थी जिसमें अभियुक्त की उपस्थिति हेतु  
बाध्यकारी आदेशिकायें निर्गत की गईं जो पत्रावली साक्ष्य में थी उसमें साक्षीगण की  
उपस्थिति सुनिश्चित हेतु बाध्यकारी आदेशिकाएं निर्गत की गईं तथा पुलिस के  
उच्चाधिकारियों को पत्र व प्रासेस निर्गत किये गये हैं। प्रार्थी द्वारा एक्शन प्लान से  
सम्बंधित पत्रावलियों के निस्तारण हेतु छोटी छोटी तिथि नियत कर यथा सम्भव प्रयत्न  
किया गया है। न्यायालय कई बार परिवर्तित होने के कारण एक्शन प्लान की सम्पूर्ण  
पत्रावलियों का निस्तारण नहीं हो सका।

01/11/2023

3— महोदय के समक्ष सादर यह तथ्य प्रस्तुत करना है कि मेरे द्वारा विभिन्न न्यायालयों में कार्यरत रहने के दौरान प्रार्थी द्वारा सत्र परीक्षण के कुल 17 वाद, फौजदारी अपील के 18 वाद, फौजदारी निगरानी के 09 वाद, प्रकीर्ण फौजदारी के 58 वाद, सिविल अपील के 04 वाद, सिविल निगरानी का एक वाद, सिविल मिसलेनियस अपील के 03 वाद, प्रकीर्ण सिविल के 2 वाद, एफ०आर० के 27 वाद, एडाप्शन का 01 वाद, जमानत प्रार्थना-पत्र 294, प्रार्थना-पत्र 156(3) दं०प्र०सं० के 209 वाद, अन्तर्गत धारा 203 दं०प्र०सं० में 14 वाद गुणदोष के आधार पर निस्तारित किये गये हैं। इसके अलावा आर्विटेसन के 10 वाद निस्तारित किये गये। लोक अदालत में कुल 08 वाद निस्तारित किये गये हैं। इसके अतिरिक्त 185 पत्रावलियों में आरोप विरचित किये गये हैं तथा प्रार्थी द्वारा कुल 1932 पेज साक्ष्य अंकित किये गये हैं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कार्य मानक 1200 यूनिट के सापेक्ष 1969.51 यूनिट का कार्य किया गया है।

4— माननीय महोदय के समक्ष सादर यह तथ्य प्रस्तुत करना है कि रिमार्क कॉलम 01 (g) में माननीय उच्च न्यायालय के Circular No. G.L.No.11/IV-h14/2022 Dated:Allahabad, August18, 2022 के सम्बन्ध में फाइनल डिस्पोजल की सूची संलग्न नहीं की गई है, के सम्बन्ध में आपत्ति किया गया है। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि Self Assessment अपलोड करते समय सहवन त्रुटिवश छूट गया था। श्रीमान जनपद न्यायाधीश के आपत्ति उठाये जाने के बाद उक्त विवरण प्रार्थी द्वारा अविलम्ब दिनांक 15.05.2023 को अपलोड कर दिया गया है मेरे द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-2023 में फाइनल डिस्पोजल के अन्तर्गत कुल 533.10 यूनिट का कार्य किया गया है।

5— प्रार्थी द्वारा दिनांक 01.04.2022 से दि० 31.03.2023 की अवधि में पूर्ण लगन एवं निष्ठा से कार्य किया गया है और यदि प्रार्थी को एक ही न्यायालय में कार्य करने का अवसर प्राप्त होता, तो प्रार्थी निश्चित रूप से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित एक्शन प्लान के मानक को पूर्ण कर लेता।

अतः माननीय न्यायालय से विनम्र निवेदन है कि उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए प्रार्थी के वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि कॉलम सं० 01(g) व 01(e)(iii) एक्शन प्लान से सम्बंधित पत्रावली के निस्तारण के सम्बन्ध में दिये गये प्रविष्टि में "which is much insufficient against requisit disposal" को सुधारने एवं समग्र आकलन के उन्नयन करने की कृपा करें।

अतः माननीय महोदय से विनम्र निवेदन है कि प्रार्थी का प्रत्यावेदन माननीय न्यायालय के समक्ष सहानुभूतिपूर्वक विचार करने हेतु रखा जाये।

सादर।

दि०-01.07.2023

भवदीय,

मोहन कुमार

(मोहन कुमार), 01/7/2023

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
मोहम्मदी, बाह्य स्थित न्यायालय,  
जिला-लखीमपुर-खीरी।